न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 61/2023/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 18.04.2023
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

लोकेश कुमार दत्तक पुत्र स्व0 रामदयाल, जाति नन्दवाना, निवासी ग्राम गेंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, कोटा
2. प्रभारी अधिकारी एवं वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, रा0सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इटावा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री संजय पाटौदी अभिभाषक – अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2

::निर्णय::

दिनांक 24.04.2025

अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, कोटा के भूमि आवंटन आदेश क्रमांक प.2() राजस्व–ा/2022/4011 दिनांक 30.03.2022 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि संयुक्त शासन सचिव, उपनिवेशन, जयपुर के पत्र क्रमांक प.19(59)उप/2021 जयपुर दिनांक 23.03.2022 से ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा की खसरा सं0 255 रकबा 2.38 है0 किस्म माल प्रथम एवं खसरा सं0 3282/244 रकबा 0.95 है0 में से 0.92 है0 किस्म नहरी प्रथम कुल 2 किता रकबा 3.30 है0 भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1963 के नियम 2(क) भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ट्रोमा सेंटर हेतु नियम–7 के अनुसार चिकित्सा विभाग को प्रस्तावित भूमि खसरा सं0 255, खसरा सं0 3282/244 के मध्य चम्बल सिंचित क्षेत्र विभाग, कोटा की नहर पर पुलिया निर्माण की संबंधित विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त पर प्रस्तावित भूमि की प्रशासनिक स्वीकृत प्राप्त होने तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, कोटा की मांग,

अति. सं. आयुक्त
कोटा

तहसीलदार, पीपल्दा के प्रस्ताव एवं उपखण्ड अधिकारी, इटावा की अभिशंषा के आधार पर उक्त वर्णित भूमि जिला कलक्टर, कोटा द्वारा के भूमि आवंटन आदेश क्रमांक प.2( ) राजस्व–II/2022/4011 दिनांक 30.03.2022 से राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ट्रोमा सेंटर, इटावा के भवन निर्माण हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को शर्तों के अधीन निःशुल्क आवंटित की गई।

2. अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2022 से व्यथित होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में पेश की गई, जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्रापत तथ्यों के सर्वथा विपरित है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वाद्रस्त भूमि अपीलांट के खाते एवं कब्जे की भूमि है। वादग्रस्त भूमि सीलिंग से प्रभावित तथा सीलिंग सिवायचक भूमि है। अपीलांट के पिता रामदयाल की सीलिंग में अधिग्रहण के पश्चात् 66 बीघा 1 बिस्वा भूमि शेष रही थी। उसके पश्चात् केचमेंट की कार्यवाही हुई, जिसमें अपीलार्थी खसरा सं0 244 की भूमि जो पूर्व में 9.13 है0 भूमि की है, उसको कम करके 8.18 है0 दर्ज कर दिया गया तथा खसरा सं0 142 की भूमि जो पूर्व में 1.23 है0 थी को बढ़ाकर 2.18 है0 दर्ज कर दिया गया जब कि मौके पर खसरा सं0 244 की भूमि 9.13 है0 ही है। उक्त त्रुटि को दुर करने हेतु अपीलार्थी द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है। उक्त त्रुटि के कारण खसरा सं0 244 की शेष भूमि का खसरा सं0 3282/244 रकबा 0.95 है कायम कर सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर दिया गया, जबकि उक्त खसरा सं0 244 का पूरा रकबा 9.13 हेक्टर भूमि अपीलार्थी के खाते की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों का अवहेलना कर आवंटन करने में त्रुटि की है। आदेश जेर अपील की पूर्व में अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। पटवारी हल्का से जानकारी होने पर जमाबंदी की नकलें दिनांक 13.07.2022 को प्राप्त की जाकर प्रस्तुत अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.03.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि केचमेंट की कार्यवाही होने पर अपीलार्थी के खाते की खसरा सं0 244 की भूमि जो पूर्व में 9.13 है0 भूमि की है, उसको कम करके 8.18 है0 दर्ज कर दिया गया तथा खसरा सं0 142 की भूमि जो पूर्व में 1.23 है0 थी को बढ़ाकर 2.18 है0 दर्ज कर दिया गया जबकि मौके पर खसरा सं0 244 की भूमि 9.13 है0 ही है। उक्त त्रुटि को दुर करने हेतु अपीलार्थी द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है। उक्त त्रुटि के कारण खसरा सं0 244 की शेष भूमि का खसरा सं0 3282/244 रकबा 0.95 है कायम कर सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर दिया गया, जबकि उक्त खसरा सं0 244 का पूरा रकबा 9.13 हेक्टर भूमि अपीलार्थी के खाते की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा का आदेश दिनांक 30.03.2022 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. रेस्पो0पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित भूमि की प्रशासनिक स्वीकृत प्राप्त होने तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, कोटा की मांग, तहसीलदार, पीपल्दा के प्रस्ताव एवं उपखण्ड अधिकारी, इटावा की अभिशंषा के आधार पर ही नियमो में विहित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ट्रोमा सेंटर, इटावा के भवन निर्माण हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को शर्तों के अधीन निःशुल्क आवंटित किये जाने का आदेश दिनांक 30.03.2022 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा

अति. सं. आयुक्त
कोटा

5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर/साक्ष्य पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. हमने अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली को अवलोकन करने से प्रकट होता है कि संयुक्त शासन सचिव, उपनिवेशन, जयपुर के पत्र क्रमांक प.19(59)उप/2021 जयपुर दिनांक 23.03.2022 से ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा की खसरा सं0 255 रकबा 2.38 है0 किस्म माल प्रथम एवं खसरा सं0 3282/244 रकबा 0.95 है0 में से 0.92 है0 किस्म नहरी प्रथम कुल 2 किता रकबा 3.30 है0 भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1963 के नियम 2(क) भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ट्रोमा सेंटर हेतु नियम–7 के अनुसार चिकित्सा विभाग को प्रस्तावित भूमि खसरा सं0 255, खसरा सं0 3282/244 के मध्य चम्बल सिंचित क्षेत्र विभाग, कोटा की नहर पर पुलिया निर्माण की संबंधित विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त पर प्रस्तावित भूमि की प्रशासनिक स्वीकृत प्राप्त होने तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, कोटा की मांग, तहसीलदार, पीपल्दा के प्रस्ताव एवं उपखण्ड अधिकारी, इटावा की अभिशंषा के आधार पर उक्त वर्णित भूमि जिला कलक्टर, कोटा द्वारा के भूमि आवंटन आदेश क्रमांक प.2( )राजस्व–II/2022/4011 दिनांक 30.03.2022 से राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ट्रोमा सेंटर, इटावा के भवन निर्माण हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को शर्तों के अधीन निःशुल्क आवंटित की गई। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 30.03.2022 के संबंध में अपीलांट का तर्क रहा है कि केचमेंट की कार्यवाही होने पर अपीलार्थी के खाते की खसरा सं0 244 की भूमि जो पूर्व में 9.13 है0 भूमि की है, उसको कम करके 8.18 है0 दर्ज कर दिया गया तथा खसरा सं0 142 की भूमि जो पूर्व में 1.23 है0 थी को बढ़ाकर 2.18 है0 दर्ज कर दिया गया जबकि मौके पर खसरा सं0 244 की भूमि 9.13 है0 ही है। उक्त त्रुटि को दुर करने हेतु अपीलार्थी द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है। उक्त त्रुटि के कारण खसरा सं0 244 की शेष भूमि का खसरा सं0 3282/244 रकबा 0.95 है कायम कर सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर दिया गया, जबकि उक्त खसरा सं0 244 का पूरा रकबा 9.13 हेक्टर भूमि अपीलार्थी के खाते की भूमि है।

8. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार पत्रावली एवं उपलब्ध रिकोर्ड अनुसार अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा सिवायचक भूमि का आवंटन किया जाना प्रकट होता है। अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा में विचाराधीन होना जाहिर किया गया है। साथ ही मूल वाद में ही अपीलांट के हक अधिकारों का निर्धारण होना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा का भूमि आवंटन आदेश क्रमांक प.2( )राजस्व–II/2022/4011 दिनांक 30.03.2022 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

24/04/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा